पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN :- U40101UR2004SGC028675
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
E-mail : hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वेबसाइट : www.ptcul.org

पत्रांक : /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ दिनांक: 30.07.2025

विषयः– सेवानिवृत्त कार्मिकों पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयको/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 19.07.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर I/II)/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.....................।

कृपया दिनांक 19.07.2025 को सेवानिवृत्त कार्मिकों, पारिवारिक पेंशनधारियों एवं मृत कर्मचारियों के लम्बित देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता के सम्बन्ध में कारपोरेशन मुख्यालय में आयोजित की गयी मासिक समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की प्रतिलिपि संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः यथा उपरोक्त।

(विवेकानन्द)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)

पत्रांक 1183/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ तददिनांक : –

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी–सचिव–निदेशक (मा0सं0)/(परिचालन), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. समीक्षा बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0एवंप्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया विषयगत पत्र को संलग्नक सहित कारपोरेशन की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः यथा उपरोक्त।

(विवेकानन्द)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)

सेवानिवृत्त कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों/पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों की पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में दिनांक 19.07.2025 को कारपोरेट मुख्यालय में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

बैठक में विभिन्न इकाईयों, वित्त विभाग तथा मानव संसाधन विभाग के कार्मिक ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से उपस्थित हुए:–

1. श्री विवेकानन्द, उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)।
2. श्री तरूण सिंघल, वरिष्ठ लेखाधिकारी।
3. श्री दीपक पाण्डे, लेखाधिकारी।
4. श्री विकास कुमार, सहायक लेखाधिकारी।
5. श्री राजेश अरोड़ा, सहायक लेखाधिकारी।

विभिन्न इकाईयों से प्राप्त निस्तारित/लम्बित पेंशन प्रकरणों का विवरण एवं अद्यतन स्थिति:–

वित्त विभाग द्वारा निस्तारित/कोषाधिकारी को प्रेषित प्रकरण:–

क्र0 सं0	सेवानिवृत्त/ मृतक कार्मिक का नाम एवं पदनाम	सेवानिवृत्त/ मृत्यु की तिथि	इकाई का नाम	पेंशन प्रकरण की अद्यतन स्थिति	प्रकरण जिस स्तर पर लम्बित है मा0सं0 अनुभाग द्वारा उस अनुभाग को दिये गये दिशा–निर्देश
1.	श्रीमती लक्ष्मी देवी, रनर	31.03.2025	परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, रूड़की	प्रकरण निस्तारित	–
1.	श्री योगेश कुमार, अवर अभियन्ता	30.04.2024	220 के0वी0 परि0एवंअनु0 उपकेन्द्र, पिरानकलियर	लक्सर प्रकरण में श्री योगेश कुमार, अवर अभियन्ता को अन्य के साथ आरोप पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें मार्गदर्शन हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया है।	कारपोरेशन पत्रांक 768 दिनांक 17.05.2025 के माध्यम से संयुक्त सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रकरण प्रेषित करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
2.	श्री विजयमल प्रसाद, अवर अभियन्ता	31.10.2024	220 के0वी0 उपकेन्द्र, पिरान कलियर	लक्सर प्रकरण में श्री विजयमल प्रसाद, अवर अभियन्ता को अन्यों के साथ आरोप पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें मार्गदर्शन हेतु प्रकरण शासन को प्रेषित किया गया है।	कारपोरेशन पत्रांक 768 दिनांक 17.05.2025 के माध्यम से संयुक्त सचिव (ऊर्जा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को प्रकरण प्रेषित करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।
3.	श्री अनिल कुमार, मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)	31.10.2024	क्रय एवं अनु0, पिटकुल, देहरादून	उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1381/I(2)/2010-07(2)/10 दिनांक 06.07.2010 के अनुपालन में कारपोरेशन पत्रांक 1226/प्र0 नि0/पिटकुल/G-1 दिनांक 29.03.2025 के द्वारा शासन से दिशा–निर्देश चाहे गये हैं।	–

सेवानिवृत्त कार्मिकों / पारिवारिक पेंशनधारियों तथा मृतक कार्मिकों के लम्बित विभागीय देयकों / पेंशन प्रकरणों के निस्तारण तथा कार्मिकों के पदधारिता विवरण के सम्बन्ध में बैठक में निम्नलिखित निर्देश दिये गये:–

1. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को उनके कार्यालयों में तैनात कार्मिकों के अवकाश (यथा– उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, प्रसूति अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश इत्यादि) का विवरण पी0आई0एस0 में ससमय अंकित करने तथा प्रत्येक माह बैठक की निर्धारित तिथि से 3 दिन पूर्व उक्त का प्रमाण पत्र ई–मेल gpfepfptcul@rediffmail.com पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. बैठक में उपस्थित कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया कि पी0आई0एस0 मॉड्यूल में 06 माह के अन्तर्गत एक ही प्रविष्टि अंकित की जा सकती है, यदि कोई कार्मिक 06 महिने के अन्तर्गत 01 से अधिक बार अवकाश पर जाता है या कोई अन्य डेटा अंकित किया जाना हो, तो पी0आई0एस0 में उसकी प्रविष्टि अंकित नहीं की जा सकती है, जिस कारण पी0आई0एस0 में कार्मिकों का सम्पूर्ण डेटा अंकित करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतैव पी0आई0एस0 मॉड्यूल में उक्त सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया।
3. विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त होने वाले पेंशन प्रकरणों के वित्त विभाग में जांचोपरान्त कई त्रुटियों के पाये जाने के कारण पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में होने वाले विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को पेंशन प्रकरणों को अपने स्तर से भली–भाँति जाँच / परीक्षणोंपरान्त ही वित्त विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के विवरण के जांचोपरान्त पायी गयी कई त्रुटियों को दृष्टिगत रखते हुए आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित कार्मिकों का विवरण (जैसा कि नाम, जन्मतिथि, नियोजन की तिथि इत्यादि) सही एवं पूर्ण रूप से तैयार कर मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
5. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को ई0पी0एफ0 की हायर वेजस पेंशन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि जिन कार्मिकों द्वारा हायर वेजस पेंशन हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी है, वह ई0पी0एफ0 पोर्टल पर अपना यू0एन0 नम्बर डालकर वांछित सूचना ई0पी0एफ0 कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं तथा अपना प्रत्यावेदन सीधे ई0पी0एफ0 कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी छायाप्रति वित्त विभाग, पिटकुल को भी प्रेषित करें।
6. बैठक में खण्ड कार्यालयों से उपस्थित कार्मिकों से उनके कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की वर्ष 2024–25 की के0पी0आई0 / ऑन लाइन / ऑफ लाइन निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।
7. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को उनके कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की पदधारिता का विवरण ससमय प्रेषित करने तथा पदधारिता में कार्मिक के तैनाती कार्यालय के साथ–साथ उन्हें प्रदान किये गये अतिरिक्त कार्यभार को भी अंकित करने हेतु निर्देशित किया गया।
8. बैठक में उपस्थित समस्त कार्मिकों को यह भी अवगत कराया गया कि विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रकरणों के बीजकों में सम्बन्धित उपचार के सम्मुख सी0जी0एच0एस0 कोड अंकित नहीं किया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित करने से पूर्व भली–भाँति जाँच / परीक्षण कर सी0जी0एच0एस0 कोड अंकित करने के उपरान्त ही प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(दीपक पाण्डे) लेखाधिकारी	(तरूण सिंघल) वरिष्ठ लेखाधिकारी	(विवेकानन्द) उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)(प्र0)